



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270465  
CG-DL-E-25022026-270465

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 951]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947

No. 951]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

**का.आ. 995(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ SPUR कि.मी. १३+८८० से ६९+८२० तक के जुन्नर -घोडेगाव - तळेघर सेक्शन बंकरपाटा - जुन्नर - तळेघर रोड का निर्माण (चौडाकरणे / चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उपधारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप उपविभागीय अधिकारी(राजस्व), तालुका आंबेगाव जिल्हा पुणे. को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६१ SPUR कि. मी. १३+८८० से ६९+८२० तक के जुन्नर – घोडेगाव – तळेघर सेक्शन बंकरपाटा – जुन्नर – तळेघर रोड के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: आंबेगाव					
गांव का नाम: राजेवाडी					
1	25	निजी	शुष्क	0.19 (हेक्टेयर)	0.19
2	27 Pe	निजी	शुष्क	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
<b>Total</b>					<b>0.1961</b>

[फा. सं. NH-15017/24/2024-P&M/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

**S.O. 995(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2- Laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the National Highway No. 61 SPUR in the stretch of land from (Km. 13+880 to 69+820 Km.) Junner - Ghodegaon – Taleghar Section of Bankarphata-Junner Taleghar Road in the District of Pune, in the State of Maharashtra. hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisonal Officer (Revenue) Taluka Ambegaon District Pune. in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No. 61 SPUR in the stretch of land from Km. 13+880 to Km. 69+820 Junner - Ghodegaon – Taleghar Section Bankarphata-Junnar Taleghar Road in the District of Pune in the State of Maharashtra.**

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Ambegaon</b>					
<b>Village: Rajewadi</b>					
1	25	Private	Dry	0.19 (Hectare )	0.19
2	27 Pe	Private	Dry	0.0061 (Hectare )	0.0061
<b>Total</b>					<b>0.1961</b>

[F. No. NH-15017/24/2024-P&M/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director